संख्याः941 / VII-II-11 / 72–उद्योग / 2006

प्रेषक,

एम0सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 21 अप्रैल, 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 में उत्तराखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापना हेतु बचनबद्ध / अवचनबद्ध मदों में धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः209/ XXVII (1)/2011 दिनांकः 31 मार्च, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में **उत्तराखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापना हेतु आयोजनेत्तर पक्ष अन्तर्गत बचनबद्ध मदों की समस्त धनराशि तथा अवचनबद्ध मदों में बजट प्राविधान के 1/4 अंश सहित कुल ₹ 524 हजार(₹ पॉच लाख चौबीस हजार मात्र)** की धनराशि निम्न विवरणानुसार / प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

18–उत्तराखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापनाः–

कोड / मद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि (₹हजार में)
01–वेतन	200
02–मजदूरी	70
03–महगाई भत्ता	120
04–यात्रा व्यय	5
06–अन्य भत्ते	22
08–कार्यालय व्यय	7
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	5
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5
13–टेलीफोन पर व्यय	30
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50
42–अन्य व्यय	5
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	5
योग–	**524**
	₹ पॉच लाख चौबीस हजार मात्र।

2– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा तथा नियमित रूप से सरकार / शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

3– उक्त धनराशि बचनबद्ध मदों में पूर्ण तथा अवचनबद्ध मदों में बजट प्राविधान के 1/4 अंश की धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अवचनबद्ध मदों में अवशेष धनराशि स्वीकृति हेतु औचित्य सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय, ताकि वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए उक्त मदों में अवशेष धनराशि अवमुक्त की जा सके।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 209/XXVII(1)/2011 दिनांक: 31 मार्च, 2011 में इंगित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

5– स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31 मार्च 2012 तक कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

6– व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जाय, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरान्त व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखा शीर्षक–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनेत्तर, 102–लघु उद्योग, 18–उत्तराखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की सथापना मद अन्तर्गत प्रस्तर–1 में उल्लिखित प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:209/XXVII(1)/2011 दिनांक: 31 मार्च, 2011 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 941/VII-II-11/72–उद्योग/2006 तद् दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओवराय बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
6. अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।